न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बाप

पीठासीन अधिकारी– मांगीलाल, आर.ए.एस.
प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 88,53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
प्रकरण संख्या:– 25/2021

वादीगण

1. रतनसिंह पुत्र हमीरसिंह
2. मोहनसिंह पुत्र गोविन्दसिंह
3. करणसिंह पुत्र रेवन्तसिंह
जाति राजपूत निवासी चाम्पासर
तहसील बाप जिला जोधपुर

बनाम

प्रतिवादीगण

1. परमाराम पुत्र रूपाराम
जाति सुथार निवासी धोलिया डेर
तहसील खींवसर जिला नागौर
2. पेम्पसिंह पुत्र दौलतसिंह उर्फ दूलसिंह
3. हवा कंवर पत्नि दौलतसिंह उर्फ दूलसिंह
4. सवाईसिंह पुत्र गोवन्दिसिंह
5. चन्द्रकंवर पत्नि गोवन्दिसिंह
6. विशालसिंह पुत्र रेवन्तसिंह
7. भंवरी कंवर पत्नि रेवन्तसिंह
जति राजपूत निवासी चाम्पासर
तहसील बाप जिला जोधपुर
8. तहसीलदार बाप

उपस्थित :–

1. श्री राजेन्द्रसिंह सोलंकी अधिवक्ता वादी की तरफ से
2. श्री मोहम्मद रफीक अधिवक्ता प्रतिवादीगण संख्या 1 व 7 की तरफ से
3. प्रतिवादी संख्या 8 सरकारी पैरोकार

निर्णय

दिनांक :– 16.09.2022

वाद के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण सं. 1 व 7 की सामलाती खातेदारी अधिकारों की काश्त भूमि ग्राम चाम्पासर पटवार क्षेत्र चाम्पासर तहसील बाप जिला जोधपुर के खसरा नम्बर 530 रकबा 215.02 बीघा स्थित है। वर्तमान में ग्राम चाम्पासर में से नवसृजित ग्राम साजननगर बन जाने से उक्त भूमि वर्तमान में साजननगर में स्थित है। उक्त वादग्रस्त भूमि में वादी संख्या 1 को 1/4 हिस्सा, वादी संख्या 2 व प्रतिवादी सं. 4, 5 को संयुक्त रूप से 1/4 हिस्सा, वादी संख्या 3 व प्रतिवादी संख्या 6, 7 को संयुक्त रूप से 1/4 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1 को 1/12 हिस्सा तथा प्रतिवादी सं. 2 व 3 को संयुक्त रूप से 2/12 हिस्सा भूमि बंट में आती है। उक्त भूमि पर वादी व प्रतिवादीगण सं. 1 व 7 का अपने–अपने हिस्से पर शांतिपूर्वक कब्जा व काश्त चला आ रहा है। वादी ने अपने हिस्से भूमि पर अपनी रहवासीय ढाणी, पानी का टांका व पशुओं के बाड़े इत्यादि बना रखे है जिसमें वादी अपने परिवार सहित बारह ही मास निवास करते आ रहे है तथा प्रत्येक वर्ष काश्त का प्राकृतिक [illegible] उपयोग व उपभोग लेते आ रहे है। वादी ने अपने हिस्से की भूमि खाद बीज [illegible] किया है। उक्त भूमि वर्तमान में राजस्व अभिलेख में सामलाती है। उक्त भूमि सामलाती [illegible] वादी को प्रत्येक वर्ष काश्त करने एवं अन्य विकास कार्य करने में भंयकर समस्याओं का सामना करना [illegible] है। इसलिये वादी नवसृजित ग्राम साजननगर पटवार क्षेत्र चाम्पासर तहसील बाप जिला जोधपुर के खसरा नम्बर 530 रकबा 215.02 बीघा में उपरोक्त वर्णित हिस्से अनुसार भूमि का बंटवाड़ा वादीगण अपने एवं प्रतिवादीगण सं. 1 व 7

सहायक कलक्टर
बाप (जोधपुर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Mangi Lal
Date: 2024.02.06 14:38:56 IST
Reason: SelfAttested

के मध्य बाई मिण्ट्स एण्ड बाउण्ड्स में करवा कर राजस्व रेकर्ड जमाबंदी में अलग–अगल खाते दर्ज करवाने एव इसी अनुसार ही नक्शा लट्ठा में तरमीम करवाने के अधिकारी है। वादी का उक्त भूमि में अपने द्वारा खाद बीज वगैरा डाल कर तैयार की गई भूमि में कब्जा व काश्त आज दिन शांतिपूर्वक चला आ रहा है। वादी ने उक्त भूमि का बंटवाड़ा कब्जा काश्त अनुसार करवाने हेतु कई बार प्रतिवादीगण सं. 1 ता 7 को निवेदन किया लेकिन हर बार प्रतिवादी सं. 1 टालमटोल का जवाब देते रहे। प्रतिवादीगण सं. 1 व 7 ने वादीगण को उक्त भूमि का बंटवाड़ा कब्जा काश्त अनुसार करने से इनकार कर दिया इसलिये बंटवाडे का वाद अदालत हाजा में पेश किया जा रहा है।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया, प्रतिवादीगण सं. 1 ता 7 की और से अधिवक्ता मोहम्मद रफीक ने वकालतनामा मय जवाब पेश किया। जो शामिल मिसल किया गया। पत्रावली में अधिवक्ता वादी की बहस सुनकर नवसृजित ग्राम साजननगर पटवार क्षेत्र चाम्पासर तहसील बाप जिला जोधपुर के खसरा नम्बर 530 रकबा 215.02 बीघा में वादी संख्या 1 को 1/4 हिस्सा, वादी संख्या 2 व प्रतिवादी सं. 4, 5 को संयुक्त रूप से 1/4 हिस्सा, वादी संख्या 3 व प्रतिवादी संख्या 6, 7 को संयुक्त रूप से 1/4 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1 को 1/12 हिस्सा तथा प्रतिवादी सं. 2 व 3 को संयुक्त रूप से 2/12 हिस्सा अनुसार विभाजन प्रस्ताव लाने बाबत प्राथमिक डिक्री जारी की गई तहसीलदार बाप द्वारा विभाजन प्रस्ताव तैयार कर दो प्रतियों में पेश किया गया जो शामिल मिसल किया गया। पत्रावली अंतिम बहस में रखी गई।

तहसीलदार बाप द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव पर वकील वादीगण की बहस सुनी गई वकील वादीगण ने अपनी बहस में कथन किया कि उनके द्वारा उक्त प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव का अवलोकन कर लिया गया है तथा प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव विधि सम्मत एवं माफिक इस्तदुआ होने से स्वीकार किया जावे साथ में यह भी कथन किया कि उक्त प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव के सम्बन्ध में वादीगण को कोई उजर एतराज नहीं है। प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव स्वीकार कर अंतिक डिक्री जारी किये जाने के आदेश फरमाये जाने का निवेदन किया।

प्रतिवादीगण सं. 1 व 7 के अधिवक्ता ने भी प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव अनुसार ही अंतिम डिक्री जारी किये जाने का निवेदन किया।

वकुलाय पक्षकारान की बहस पर मनन किया गया एवं तहसीलदार बाप द्वारा प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव का अवलोकन किया गया। बाद मनन एवं अवलोकन पाया गया कि प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव माफिक प्राथमिक डिक्री तैयार कर तहसीलदार, बाप द्वारा पेश किया गया है। उक्त प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार किये जाने हेतु अधिवक्ता वादीगण व प्रतिवादीगण सं. 1 ता 7 द्वारा भी इस्त[illegible] है। अतः तहसीलदार बाप द्वारा प्रस्तुत किये गये विभाजन प्रस्ताव को स्वी[illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Mangi La[illegible]
Date: 2024.02.06 14:38:56
Reason: SelfAttested

कियात्मक आदेश

तहसीलदार बाप द्वारा राजस्व ग्राम साजननगर पटवार क्षेत्र चाम्पासर तहसील बाप जिला जोधपुर के खसरा नम्बर 530 रकबा 34.8191 हैक्टेयर भूमि के सम्बन्ध में प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार किया

सहायक कलेक्टर
बाप (जोधपुर)

जाता है। उक्त वादग्रस्त भूमि का वादीगण एवं प्रतिवादीगण सं. 1 ता 7 के मध्य निम्नुसार बंटवाड़ा किया जाता है :-

क्र. स.	पक्षकारान् का नाम	खसरा नम्बर	रकबा	किस्म	विभाजन
1	विशालसिंह, करणसिंह पि रेवन्तसिंह, भंवरीदेवी पत्नि रेवन्तसिंह 1/3 हिस्सा रतनसिंह पि हमीरसिंह 1/3 हिस्सा गोविन्दसिंह पुत्र लालसिंह 1/3 हिस्सा (रास्ता) के बंट में	530	0.4044 हे.	बी-4	संलग्न नजरी नक्शा अनुसार
2	पेम्पसिंह पुत्र दूलसिंह 1/2 हिस्सा हवादेवी पत्नि दूलसिंह 1/2 हिस्सा के बंट में	530	5.8032 हे.	बी-4	संलग्न नजरी नक्शा अनुसार
3	परमाराम पुत्र रूपाराम सुथार धोलियाडेर के बंट में	530	2.9015 हे.	बी-4	संलग्न नजरी नक्शा अनुसार
4	विशालसिंह, करणसिंह पि. रेवन्तसिंह, भंवरीदेवी पत्नि रेवन्तसिंह के बंट में	530	8.57 हे.	बी-4	संलग्न नजरी नक्शा अनुसार
5	रतनसिंह पुत्र हमीरसिंह के बंट में	530 530	6.4275 हे. 2.1425 हे	बी-4 बी-4	संलग्न नजरी नक्शा अनुसार
6	गोविन्दसिंह पुत्र लालसिंह	530 530	4.285 हे. 4.285 हे.	बी-4 बी-4	संलग्न नजरी नक्शा अनुसार

तहसीलदार बाप को आदेश दिया जाता है कि उपरोक्त वादग्रस्त भूमि के विभाजन का राजस्व रिकॉर्ड में अंमल दरामद कर वादीगण एवं प्रतिवादीगण सं. 1 ता 7 के खाते राजस्व रिकॉर्ड में अलग-अलग कायम कर इसी अनुसार नक्शा लठ्ठा ट्रेस में तरमीम करे। संलग्न नजरी नक्शा निर्णय का अभिन्न भाग समझा जायेगा। डिक्री पर्चा अलग से जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 16.9.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मांगीलाल आर.ए.एस)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बाप (जोधपुर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Mangi L
Date: 2024.02.06 14:38:56
Reason: SelfAttested